considered as Category-I I formulations if they are recommended for use in the treatment of the disease under which the drug is included under First Schedule. All other formulations will be considered as Category II formulations.

In case of formulations of Scheduled bulk drugs and non-scheduled bulk drugs, the drug will be considered to be price controlled, if the scheduled bulk drug forms major therapeutic ingredient.

All combinations containing Vitamin(s) will be treated as Category II formulations.

The final authority to decide whether a formulation is a Scheduled formulation or otherwise and its Categorisation rests with the Government. For this purpose, all manufacturers/ importers shall submit a list of formulations (licensed to manufacture under Drugs & Cosmetics Act) with proper classification within 45 days from the date of issue in case of existing products and 45 days from the date of grant of permission under Drugs & Cosmetics Act in case of new products.

III. *Application for Price Revision*

All applications for price fixation/ revision and the representations submitted against the prices fixed under DPCO, 1979 stand disposed of. The prices fixed under DPCO, 1979 prevail. In case the manufacturers desire to have revised prices for such formulations, they should submit fresh applications under the provisions of DPCO, 1987.

The manufacturers are free to revise the prices of non-scheduled formulations subject to following the procedure provided under Paragraph 11. They are required to furnish information on cost details to the Government.

IV. *MAPE*

For the purpose of regulating MAPE, the Government will grant 75 per cent for Category I formulations and 100 per cent for Category II formulations.

Koyali's Refising Capacity

2044. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Koyali's refining capacity is being enhanced; if so, the details thereof;

(b) what are the present established reserves of crude and gas in the country and the present utilisation thereof; and

(c) whether the present quantum of utilisation is on the high side keeping in view the total reserves known/expected?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAFIQUE ALAM): (a) Capacity of the Koyali refinery is being increased from 7.3 MTPA to 9.5 MTPA at an estimated cost of Rs. 27.62 crores. The refinery has already realised a capacity of 8.1 MTPA.

(b) The proved and indicated balance recoverable reserves of crude oil in the country as on 1-1-87 have estimated to be 581 million tonnes and that of gas 541 billion cubic metres. The present annual crude production in the country is of the order of around 30 million tonnes and gas 9853 million cubic metres.

(c) No, Sir.

Renewable Sources of Energy

2045. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state the present ratio of the renewable sources of energy to non-renewable sources of energy *vis-a-vis* that obtaining during the first Five Year Plan period?

THE MINISTER OF ENERGY AND THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI VASANT SATHE): Renewable sources of energy including traditional and non-commercial sources comprising mainly fuelwood, agricultural residues and animal dung are estimated to constitute about 37 per cent of the total energy

used in the country. This works out a ratio of renewable/non commercial to non-renewable energy of 37:63. As against this the corresponding figures obtaining during the first Five Year Plan period had been estimated to be approximately 67 per cent to 33 per cent. Due to progress in the last three years a significant contribution has started coming from non-conventional sources such as biogas.

उद्योग मंत्रालय में हिन्दी भाषा का प्रसार

2046. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "क" और "ख" क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों की पूर्णतः अवहेलना करते हुये, रोमन लिपि के कम्प्यूटरों, टेलेक्स मशीनों और टेलीप्रिंटरों जैसे दर्जनों आधुनिक यंत्रों के आगमन और अबाधित प्रयोग के फलस्वरूप हिन्दी के प्रसार का कार्य वर्षों पीछे पड़ गया है और वहां भी टेलेक्स मशीनें लगायी गई हैं वहां से एक भी तार हिन्दी में नहीं भेजा गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि "क" क्षेत्रों में अंग्रेजी के टंकन यंत्रों आदि की तुलना में देवनागरी के टंकन यंत्रों, हिन्दी टंककों और आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है जबकि उनकी संख्या 50:50 होनी चाहिये थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और हिन्दी भाषा के प्रसार के लिये क्या नये कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

राजभाषा अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी अथवा दोनों के प्रयोग के क्षेत्रों का उल्लेख है किन्तु इलेक्ट्रानिकी एवं यांत्रिक सुविधाओं का कोई उल्लेख नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रारम्भ में कम्प्यूटर, टेलेक्स मशीनें और टेलीप्रिंटर रोमन में ही उपलब्ध थे इसलिये केन्द्र सरकार द्वारा उन्ही का प्रयोग सम्भव था । किन्तु, सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप कम्प्यूटर व टेलीप्रिंटर की सुविधायें देवनागरी में भी मिलने लगी । यह देखते हुये, राजभाषा विभाग ने यह निदेश जारी किये कि द्विभाषी कम्प्यूटरों, शब्द संसाधकों, डाटा एन्ट्री उपकरणों को ही केन्द्र सरकार के कार्यालयों में प्रयोग हेतु खरीदा जाये । तारघरों में हिंदी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध है । किन्तु यह सत्य है कि टेलेक्स मशीनों के नेटवर्क पर रोमन लिपि के अलावा संदेश भेजने की सुविधा अनुपलब्ध होने के कारण टेलेक्स मशीनों पर संदेश रोमन में ही भेजे जाते हैं ।

(ख) यह सत्य नहीं है कि "क" क्षेत्र में देवनागरी के टंकण यंत्रों, टंककों और आशुलिपिकों की संख्या 50 प्रतिशत होनी चाहिये । राजभाषा विभाग ने "क" क्षेत्र में खरीदे जाने वाले टंकण यंत्रों का अनुपात वार्षिक कार्यक्रमों में निर्धारित किया था जिसके फलस्वरूप उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुयी है । राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार टंककों एवं आशुलिपिकों के अनुपात को भी प्रशिक्षण अथवा सीधी भर्ती करके पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संख्या में वृद्धि होने की आशा है । यह भी सत्य नहीं है कि "क" क्षेत्र में टंकण यंत्रों, टंककों एवं आशुलिपिकों की संख्या नहीं के बराबर है । सरकार इस संख्या को "क" क्षेत्र में हिन्दी में निर्धारित काम को देखते हुये बढ़ाने के सभी सम्भव प्रयत्न कर रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिंदी भाषा के प्रसार के लिये निम्नलिखित प्रमुख उपाय किये गये हैं :—

राजभाषा विभाग इलेक्ट्रानिकी विभाग के साथ समन्वय करके विभिन्न कार्यालयों में द्विभाषी कम्प्यूटर एवं साफ्ट – वेयर के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है । इस समय बाजार में बहुत से शब्द संसाधकों के पेकेज उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा व्यक्तिगत कम्प्यूटरों पर देवनागरी में कार्य किया जा सकता है । यहां तक कि ऐसे कार्यक्रम बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है, जिन पर द्विभाषी रूप में आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सके ।